छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन, नया रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 23/07/2016

क्रमांक एफ 1–29/2013/स्था/चार ::: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष–2013 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए अभ्यर्थी स्मिता वाल्देकर, पति मोहम्मद शब्बीर रिजवी, अनुसूचित जाति (महिला) इकरा स्कूल, इंदिरा मार्केट, वार्ड क्रमांक 03, गोबरा नवापारा, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रूपये 15600–39100 ग्रेड वेतन रूपये 5400/– में अनन्तिम (Provisional) रूप से कडिका 2.1 से 2.11 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:–

2/ 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण–पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्व सूचना के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियॉ अपने जाति प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परीवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी।

2.4 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छ.ग. राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 शासित होंगे।

2.5 उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है, अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण–पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जांने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

......निरंतर....2

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियॉ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.7 जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2.8 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा ।

2.9 चयनित अभ्यर्थी की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।

2.10 यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.11 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23/07/2016
(ए.के. सिंह)
उप सचिव

पृठां क्रमांक एफ 1–29/2013/स्था/चार/928 नया रायपुर, दिनांक 23/07/2016

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, रायपुर
3. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1527/54/चयन/2015/03, दिनांक 28.10.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
7. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
8. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर .
9. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. नया रायपुर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को उसके वर्तमान पते पर सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।

......निरंतर...3

10. संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायपुर
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित हेतु
12. संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग, छत्तीसगढ़
13. समस्त कोषालय अधिकारी, ...छत्तीसगढ़
14. संबंधित अभ्यर्थी .... आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर कार्यालय में मूल प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।
15. आर्डर बुक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22/07/2016
(ए.के. सिंह)
उप सचिव